


:: न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड (राज.) ::

क्रमांक: 67

दिनांक: 03/11/23

:: आदेश ::

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 65 दिनांक 31.10.2023 के द्वारा दिनांक 05.11.2023 रविवार के राजकीय अवकाश में श्री मनोज सिंह फौजदार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02 झालावाड़ की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई थी, परन्तु श्री मनोज सिंह फौजदार को आवश्यक कार्य हेतु मुख्यालय से बाहर जाने के कारण आपसी सहमति के आधार पर झालावाड़ न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड अभिवृद्धि व अन्य आवश्यक प्रकृति के कार्य, जिसमें धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान एवं मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करना व धारा 176 (1क) के तहत मृत्यु समीक्षा जाँच करना शामिल है, को करने के लिए दिनांक 05.11.2023 के राजकीय अवकाश में ड्यूटी करने के लिए श्रीमती शिल्पी बंसल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01 झालावाड़ को अधिकृत किया जाता है। इसके अलावा पूर्व का मूल आदेश यथावत रहेगा।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़।

क्रमांक: 1398

दिनांक: 03/11/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़
02. श्री मनोज सिंह फौजदार, अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02, झालावाड़।
03. श्रीमती शिल्पी बंसल, अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 झालावाड़।
04. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड़ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
05. प्रभारी अधिकारी वायर लैस केन्द्र झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड़ जिले के समस्त थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
06. आदेश/संबंधित पत्रावली।
07. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को झालावाड़ न्याय क्षेत्र की Website- jhalawar.dcourts.gov.in पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़।